भारत का राजपत्र

परिशिष्ट

फॉम – 'क'

1 सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा – 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेनो का फार्म।

भाग – 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना का विवरण		
1.	अपेक्षित वन भूमि प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत मसराना से किमोई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
2.	150000 स्केल मैप पर वनभमि और उसके आसपास के वनो की सीमाओ को दर्शाने वाला मैप संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
3.	परियोजना की लागत	रू0 129.60 लाख।
4.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	अन्य विकल्प उपलब्ध न होने के कारण मार्ग का निर्माण वन क्षेत्र से किया जा रहा है।
5.	लगत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है।
6.	रोजगार जिनके पैदा होने के संभावना है	निर्माण अवधि में 4 हजार मानव दिवस अस्थाई रूप से सृजित होगे। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवशर प्राप्त होंगे।
7.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सिविल वनभूमि 1.1025 है0 है। आरक्षित वनभूमि 3.780 है0 है। वन्यजीव विहार 0.420 है0 है। **कुल योग 5.3025 है0**
8.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है तो	कोई नहीं है।
क	परिवारों की संख्या	249
ख	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारो की संख्या	शून्य पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।
ग	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है/लागू नहीं	शून्य।
9.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हॉ/नहीं) – नहीं	हां
10.	प्रतिपूरक वनीकरा करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय) – संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
11.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजो का ब्योरा।	समस्त प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न है।

तिथि – 1-2-2018
स्थान – थत्यूड़

हस्ताक्षर

(इं0 रजनीश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढवाल)।

फॉर्म– 'क'

१२- विभाग/जिला प्रोफाइल

(i) जिले का भौगोलिग क्षेत्र

(ii) जिले का वन क्षेत्र

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन् भूमि

(ख) वनेतर भूमि परन

(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वनभूमि पर

(ख) वनेतर भूमि पर

१३ स्ताव को स्वीकृत करने अथषा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता

नाम अ.ख.लो.नि.वि. थत्यूड़

सरकारी मोहर

दिनॉक:– 26/8/19

स्थान:– थत्यूड़